भारत सरकार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1785
(उत्तर देने की तारीख 29.07.2026)

वित्तीय चूक, परियोजन में देरी और शासन की विफलताएं

1785. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या *विज्ञान और प्रौद्योगिकी* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक संस्थानों और संगठनों में वित्तीय अनियमितताओं, परियोजना में विलंब, अव्ययित निधियों और शासन की कमियों के संबंध में नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की हाल ही में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी समीक्षा में परियोजना निगरानी, वित्तीय प्रबंधन, निधि के उपयोग और वैज्ञानिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनशक्ति की लगातार कमी, रिक्त पदों और भर्ती में विलंब के कारण वैज्ञानिक संस्थानों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वित्तीय और प्रशासनिक चूकों के लिए जवाबदेही तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) परियोजना निगरानी, वित्तीय पारदर्शिता, डिजिटल शासन, जनशक्ति क्षमता और नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की सिफारिशों के अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) जी हां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक संस्थानों और संगठनों से संबंधित मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के वर्ष 2025 के 29 वें प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा) में की गई टिप्पणियों का संज्ञान लिया है। टिप्पणियों की संबंधित संगठनों द्वारा जांच की जाती है तथा विहित वित्तीय नियमों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान की गई संस्तुतियों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। जहां अपेक्षित हो, वहां विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां (एटीएन्स) सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाती हैं।

(ख) मंत्रालय तथा उसके वैज्ञानिक संगठनों द्वारा आंतरिक समीक्षा प्रणालियों, सांविधिक लेखापरीक्षाओं, आंतरिक लेखापरीक्षाओं तथा अन्य पर्यवेक्षण तंत्रों के माध्यम से परियोजनाओं, वित्तीय प्रबंधन, निधियों

के उपयोग तथा वैज्ञानिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा और निगरानी के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं। ऐसी समीक्षाओं अथवा लेखापरीक्षाओं के दौरान संज्ञान में आई किसी भी कमी का संबंधित संगठनों द्वारा लागू नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार निराकरण किया जाता है।

(ग) स्वीकृत पदों पर भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति, नए पदों के सृजन तथा अन्य प्रशासनिक कारणों से समय-समय पर रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। मंत्रालय तथा उसके वैज्ञानिक संगठन प्रचलित भर्ती नियमों एवं भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार नियमित रूप से भर्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्थागत गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों द्वारा, जहां अपेक्षित हो, संविदात्मक नियुक्ति, परियोजना कार्मिकों तथा अन्य अनुमेय व्यवस्थाओं का भी उपयोग किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त संदर्भित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर केवल जवाबदेही तय किए जाने को उचित ठहराने वाला कोई विशिष्ट मामला संज्ञान में नहीं आया है। जहां कहीं भी लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रक्रियात्मक कमियों या गैर-अनुपालन की ओर संकेत करती हैं, वहां संबंधित संगठनों द्वारा उक्त टिप्पणियों की जांच की जाती है तथा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई की जाती है।

(ड़) मंत्रालय तथा इसके वैज्ञानिक संगठनों ने परियोजना निगरानी, वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और संस्थागत शासन को सुदृढ़ करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा और निगरानी, आंतरिक लेखापरीक्षा और वित्तीय निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना, सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर), गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का अनुपालन, वैज्ञानिक, प्रशासनिक और वित्त कार्मिकों का नियमित क्षमता निर्माण क्षमता-निर्माण तथा मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियों को समय पर भरना शामिल है।

सीएसआईआर में, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए डिजिटल शासन पहलों को भी कार्यान्वित किया गया है। इनमें लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एकाउंट्स मैनेजर सॉफ्टवेयर (एएमएस) और संपूर्ण क्रय जीवनचक्र का प्रबंधन एवं ट्रैकिंग करने के लिए सीएसआईआर परचेज सॉफ्टवेयर (सीपीएस) शामिल हैं। अंतर्निहित रिपोर्टिंग और एमआईएस डैशबोर्ड के साथ यह प्लेटफॉर्म डेटा-आधारित निर्णय लेने, वास्तविक समय में स्थिति की निगरानी तथा लेखापरीक्षा के लिए तैयार दस्तावेजीकरण को सक्षम बनाता है, जिससे सीएसआईआर में प्रभावी शासन और सुव्यवस्थित क्रय संचालन सुनिश्चित होता है।
